

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं० सं०-5/उ०नि०ब०(आ०)16/2018

पत्रांक 35/अ/१२७

पटना, दिनांक 07.12.18

शुद्धि पत्र

उद्योग विभाग के राज्यादेश संख्या 2060, दिनांक 11.06.2018 के आलोक में आवंटन संख्या 1480 दिनांक 13.06.2018 द्वारा विपत्र कोड 23-2852801020160 के विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में रू० 18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र का आवंटन निर्गत किया गया।

इसी क्रम में उद्योग निदेशालय के ज्ञापांक 4293, दिनांक 04.12.18 द्वारा उक्त स्वीकृत/आवंटित राशि में से रू० 10000.00 लाख मात्र का प्रत्यापण किया गया है।


विपत्र कोड 23-2852801020160 के विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में से रू० 18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के स्थान पर रू० 8475.00 लाख (चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र पढ़ा जाय।


तदनुसार निर्गत आवंटन संख्या 1480 दिनांक 13.06.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
आवंटन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

ज्ञापांक 35/अ/१२७

पटना, दिनांक 07.12.18

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक एवं आईटी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।